

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, महानदी द्वारा मंत्रालय के बाजू में,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

PH.NO.0771-4066011, FAX 0771-4066188, e-mail. ceo@nayaraipur.com, shrivastavasr@gmail.com, sepw_nayaraipurcg@yahoo.co.in,

सूचना क्र. 180 /उपनगर/लोनि/एनआरडीए/10 रायपुर, दिनांक 22/03/2010

कार्यालय सूचना

—0—

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में चयनित एवं सूचीबद्ध कंसलटेन्ट्स से निम्न दर्शित कार्यों के लिये कार्य के समक्ष दर्शायी केटेगरी से कंसेप्ट प्लान एवं दर (आर्किटेक्चरल और स्ट्रेक्चरल ड्राइंग / सेवा हेतु) दिनांक 31/03/2010 संध्या: 5:30 बजे तक रजिस्टर्ड एडी./ स्पीट पोस्ट से आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित समय एवं दिनांक के पश्चात् प्राप्त प्रस्तावों को अमान्य किया जायेगा।

सं. क्र.	कार्य का नाम	प्रोजेक्ट की लागत (रु. लाख में)	अमानत राशि (रूपये में)	सूचीबद्ध कंसलटेन्ट की श्रेणी
01	02	03	04	05
1.	नया रायपुर (सेक्टर-28) अंतर्गत ग्राम नवागांव खपरी में "Facility centre" निर्माण हेतु कंसेप्ट प्लान	80.00 लाख	8000.00	छ.ग. हाउसिंग बोर्ड में इम्पेनल्ड 'ए' से "डी" श्रेणी।

ठीप:- पिछले दो वर्षों में शासकीय विभाग में कम से कम 80.00 लाख के एक या दो कार्य (जिसकी कुल लागत 80.00 लाख से कम न हो) पूर्ण किया गया हो, पूर्णता प्रमाण पत्र सहित। प्रमाण पत्र कार्यपालन अभियंता या उससे उच्च अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

- भवन की आवश्यकताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी संलग्न है इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु (एनेक्सर-'ए') कार्यालयीन दिवस में दिनांक 29/03/2010 के पूर्व इस कार्यालय के श्री रोहित खण्डेलवाल उपमहाप्रबंधक (नियोजन) से प्राप्त कर सकते हैं।
- आर्किटेक्चरल कंसेप्ट ड्राइंग शुल्क दर (फायरेंशियल ऑफर) एवं अमानत राशि पृथक-पृथक लिफाफों में निर्धारित दिनांक तक प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

3. कंसलटेंट / आर्किटेक्टस को अमानत राशि निर्धारित दिनांक 31/03/2010 समय संध्या 5:30 बजे तक जमा कराना अनिवार्य होगा। यह अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में होगी जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर के नाम प्लेज की जावेगी।
4. आर्किटेक्चरल ड्राईंग एवं स्ट्रेक्चरल ड्राईंग / सेवा के कार्य हेतु स्पष्ट दरें दर्शायी जायें।
5. कंसेप्ट प्लान तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण (पावर पाइन्ट प्रजेन्टेशन) के लिये कंसलटेंट को कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
6. कंसेप्ट प्लान का प्रस्तुतीकरण (पावर पाइन्ट प्रजेन्टेशन) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष करना होगा। कंसेप्ट प्लान को मूल्यांकन पश्चात् अधिकतम अंकों वाले चयनित वास्तुविद के प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा। प्रस्तुतीकरण तिथि की सूचना पृथक से दी जायेगी।
7. समिति को किसी भी कंसेप्ट प्लान को या प्राप्त सभी कंसेप्ट प्लान को बिना कारण बतायें अस्वीकृत करने का अधिकार होगा। कंसेप्ट प्लान के अनुमोदन के पश्चात् आर्किटेक्ट / कंसलटेंट का अंतिम चयन होगा अंतिम रूप से चुने गये आर्किटेक्ट / कंसलटेंट का ऑफर एवं दर स्वीकृत होने के उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर के साथ अनुबंध निष्पादित किया जावेगा।
8. आर्किटेक्ट के लिये कंसेप्ट प्लान आदि तैयार करने के पूर्व स्थल निरीक्षण हेतु नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर से सम्पर्क कर परियोजना के संबंध में चर्चा करनी आवश्यक है इस हेतु भी आर्किटेक्ट को अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
9. आर्किटेक्ट, छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड का वर्तमान में वैध पंजीयन / इम्पेलनमेंट प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

Sd/-

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

भवन की आवश्यकताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी

1. भूखण्ड का आकार लगभग 2561.66 वर्ग मीटर।
2. Permissible FAR =1
3. Permissible Ground coverage=30%.
4. Maximum height=15m.
5. वर्तमान में केवल Ground floor का ही निर्माण प्रस्तावित है। अपितु योजना संपूर्ण रूप से तैयार किया जाना है, जो कि जी+2 तक हो सकता है।
6. Ground Floor में 8 से 10Sqm की लगभग 35 दुकानें, 100 Sqm का रेस्टॉरेन्ट, आवश्यकतानुसार लेडीज एवं जेन्ट्स टॉयलेट, मीटर रूम, प्रथम तल पर जाने हेतु जीना, पार्किंग, लगभग 10 छोटी गुमटियां (शेड सहित) आदि।
7. First floor में आवश्यकतानुसार विभक्त किये जा सकने वाले हॉल जिसे लॉबी से approach किया जा सकेगा।
8. भवन का डिजाइन नया रायपुर विकास योजना 2031 तथा नया रायपुर अर्बन डिजाइन गाईड लाईन के अनुरूप ही होगा।
9. साईट संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शायी गयी है (एनेक्सर-बी)।

Sd/-

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी,
रायपुर (छ.ग.)